तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–03, अजमेर</u>** **फौजदारी परिवाद संख्या–11/2024 सीआईएस सं. 56/2024** **सरकार बनाम रूबी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2026	परिवादी की तरफ से अपर लोक अभियोजक उपस्थित, जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि परिवादी लोक सेवक है तथा धारा 200 द.प्र.सं. के प्रावधानानुसार लोक सेवक की दशा में परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। अतः मुलजिमान के विरूद्ध आरोपित अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जावे। मेरे द्वारा संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। धारा 200 द.प्र.सं. के परन्तुक के प्रावधानानुसार, ''परन्तु जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा– (क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोकसेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है। अतः उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश में परिवादी को परीक्षित करना आवश्यक नहीं होने से सीधे बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। अपर लोक अभियोजक द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की गयी। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय को यह दर्शित है कि प्रकरण में राजस्थान सरकार द्वारा जरिये रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर उक्त परिवाद अन्तर्गत धारा–4/22 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (THE BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEME ACT 2019) विरूद्ध **रूबी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जरिये अध्यक्ष, सचिव व प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यगण/उपाध्याक्षगण/कोषाध्यक्ष/सदस्य संचालक व अन्य** इत्यादि पेश किया है तथा कथन किया है कि आरोपीगण ने अपने कारोबार के अनुक्रम में परिवाद में वर्णित सदस्य **वीना गुप्ता पत्नी के.के. गुप्ता** से राशि 2,00,000 रूपये निक्षेप प्राप्त किया तथा उन्हें परिपक्वता तिथि पर परिवाद में वर्णित राशि नही लौटाई। इस सम्बंध में रकम जमा बाबत दस्तावेजात की प्रतियां, सदस्य जिसके द्वारा राशि निवेश की गयी, का शपथ पत्र भी पत्रावली पर पेश है। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से अभियुक्त सं. 1 व 2 के विरूद्ध धारा 4/22 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (THE BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEME ACT 2019) के अपराध के गठन के प्रथम दृष्ट्या आधार होने से उक्त अभियुक्तगण **रूबी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड राजस्थान शाखा कार्यालय अजमेर एवं प्रधान आफ़िस साकुन नृहसिपुरा फायसागर रोड अजमेर जरिये 1. अध्यक्ष मनोत पंत, 02 सचिव**	

Authenticated Document

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–03, अजमेर** **फौजदारी परिवाद संख्या–11/2024 सीआईएस सं. 56/2024** **सरकार बनाम रूबी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 4/22 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम,2019 (THE BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEME ACT 2019) में प्रसंज्ञान लिया जाता है। शेष आरोपीगण का कोई नाम, पता परिवाद में वर्णित नहीं होने व कोई विशिष्ट कृत्य परिवाद में वर्णित नहीं करने से उक्त आरोपीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपर लोक अभियोजक नियमानुसार प्रकरण में पैरवी करें। परिवादी की ओर से प्रकरण में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी उन्मुक्ति बाबत प्रार्थना पत्र पेश है, जो स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित आये। प्रकरण मूल फौजदारी में नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। धारा 204 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना होने पर अभियुक्तगण को जरिये जमानती वारण्ट रूपये 10,000/– से तलब करें। पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्तगण हेतु दिनांक 20–06–2026 को पेश हो। (नीरज गुप्ता) अपर सेशन न्यायाधीश संख्या– 03, अजमेर IMRAN Digitally signed by IMRAN Date: 2026.03.18 10:31:26 +0530	

Authenticated Document